न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 01/2022

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना अनादरा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री वेलाराम जाति कलबी निवासी कोजरा पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक **13.07.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.11.2021 को एक पिकअप वाहन संख्या आरजे 16 जीए 4671 को चैक किया तो उसमें में रखे कुल 7 ड्रमों में पेट्रोल भरा हुआ पाया गया जिसमें कुल 1505 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के डीजल एवं पेट्रोल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से डीजल एवं पेट्रोल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही की एक पक्षीय बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 23.11.2021 को धारा 207 एमवी एक्ट में अप्रार्थी से जब्तशुदा खडे वाहन पिकअप संख्या आरजे 16 जीए 4671 जिसमें आसमानी रंग के कुल 07 ड्रम रखे हुए थे, जिनमें तरल पदार्थ भरा हुआ था। उक्त ड्रमों को चैक करने पर उक्त तरल पदार्थ पेट्रोल होना प्रतीत हो रहा था एवं अप्रार्थी श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री वेलाराम जाति कलबी निवासी कोजरा पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही से उक्त तरल पदार्थ के बारे में पूछा तो उसने उक्त 07 ड्रमों में पेट्रोल [illegible] ड्रमों में भरे पेट्रोलियम पदार्थ का गणितीय हिसाब से माप करने पर प्रत्येक [illegible] में [illegible]5 लीटर पेट्रोल भरा हुआ होना पाया गया। इस प्रकार कुल 1505 लीटर [illegible] हुआ पाया गया एवं अप्रार्थी से उक्त पेट्रोल से संबंधित [illegible] के बारे में पूछा [illegible] अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। [illegible] प्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस के पेट्रोल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त पेट्रोल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए है। अतः पेट्रोल ज्वलनशील

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:19:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके थे अतः अप्रार्थी का जवाब देने का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी बहस हेतु नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ, अतः प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 23.11.2021 को धारा 207 एमवी एक्ट में अप्रार्थी से जब्तशुदा खडे वाहन पिकअप संख्या आरजे 16 जीए 4671 जिसमें आसमानी रंग के कुल 07 ड्रम रखे हुए थे, जिनमें तरल पदार्थ भरा हुआ था। उक्त ड्रमों को चैक करने पर उक्त तरल पदार्थ पेट्रोल होना प्रतीत हो रहा था एवं अप्रार्थी श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री वेलाराम जाति कलबी निवासी कोजरा पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही से उक्त तरल पदार्थ के बारे में पूछा तो उसने उक्त 07 ड्रमों में पेट्रोल भरा होना बताया। उक्त ड्रमों में भरे पेट्रोलियम पदार्थ का गणितीय हिसाब से माप करने पर प्रत्येक ड्रम में 215 लीटर पेट्रोल भरा हुआ होना पाया गया। इस प्रकार कुल 1505 लीटर पेट्रोल अवैध भरा हुआ पाया गया एवं अप्रार्थी से उक्त पेट्रोल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसंस के पेट्रोल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त पेट्रोल को कब्जे सरकार लिया गया। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पेट्रोल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये कुल 1505 लीटर पेट्रोल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए कुल 1505 लीटर पेट्रोल का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:19:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner